उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय परिसर, डांडा लखौण्ड, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।

Website: www.ukmssb.org, Email: ukmssbdun@gmail.com, Phone no.: 0135-2608566

विज्ञापन संख्याः उ0चि0से0च0बोर्ड/परी0(फार्मा0)/55/2018–19/728 दिनांकः 15 अक्टूबर, 2018

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड में समूह–'ग' के अन्तर्गत फार्मासिस्ट के बैकलॉग(अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) के रिक्त पदों हेतु विज्ञापन।

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	–	16 अक्टूबर, 2018
ऑनलाईन आवेदन प्रारम्भ करने की तिथि	–	20 अक्टूबर, 2018
ऑनलाईन आवेदन भरने की अन्तिम तिथि	–	20 नवम्बर, 2018 (रात्रि 11:59:59 बजे तक)
आवेदन शुल्क **Net Banking /Debit Card/ Credit Card** द्वारा जमा करने की अन्तिम तिथि	–	20 नवम्बर, 2018 (रात्रि 11:59:59 बजे तक)

01. रिक्तियों का विवरण– चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड में समूह–'ग' के अन्तर्गत फार्मासिस्ट के बैकलॉग पद हेतु रिक्तियों की कुल संख्या 21 है। रिक्तियों की संख्या घट–बढ़ सकती है। रिक्तियों का विवरण निम्नानुसार हैः–

पद का नाम	वेतनमान	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	कुल
फार्मासिस्ट	₹ 35,400 -1,12,400 लेवल–6	10	02	09	21

क्षैतिज आरक्षण (बैकलॉग सहित) का विवरण निम्नानुसार है–

क्र.स.	पदों का विवरण	पदों की संख्या	महिला 30%	दिव्यांग 04%	पूर्व सैनिक 05%	स्व0सं0से0आ0 02%
1	अनुसूचित जाति	10	03	00	01	00
2	अनुसूचित जनजाति	02	01	00	00	00
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	09	03	00	00	00
	योग	21	07	00	01	00

02. पद का स्वरूप– अराजपत्रित/अंशदायी पेंशन योजना।

03. वेतनमान–
₹ 35,400 -1,12,400 लेवल–6

04. शैक्षिक एवं अधिमानी अर्हतायें– फार्मासिस्ट के पद हेतु सेवा में पदों पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त संस्था से भेषजिक (फार्मेसी) का डिप्लोमा रखता हो तथा उत्तराखण्ड फार्मेसी काउंसिल/उत्तराखण्ड फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल में पंजीकृत हो।
अधिमानी अर्हताएं– सेवा में भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जायेगा जोः–
(क) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की की अवधि तक सेवा की हो, या

(ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

(ग) अभ्यर्थी को रिट याचिका सं0 2129(एस0एस0)/2016 रंजन कुमार पाल बनाम राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 09.12.2016 **"In view thereof, it is directed that the counselling the respondent authority shall take an undertaking from all the candidates that they are not appointed as pharmacist in Uttarakhand Government Department either in the Allopathy or in the Veterinary Department"** का नोटराईज शपथ पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक है।

05. आयु– आयु सीमा 18 से 42 वर्ष निर्धारित है। आयु गणना की निश्चायक तिथि 01 जुलाई, 2018 है। अभ्यर्थी की आयु 01 जुलाई, 2018 को न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 42 वर्ष होनी चाहिए, परन्तु उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जायें।

06. सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण– समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को फार्मासिस्ट के प्रकाशित विज्ञापन में आवेदन होने की अन्तिम तिथि तक उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण एवं वैधता होना अनिवार्य होगा।

07. राष्ट्रीयता– सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से 01 जनवरी, 1962 से पूर्व भारत आया हो: या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या केनिया, उगान्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रवजन किया हो।

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो,

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस महानिरीक्षक, गुप्तचर शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर ले,

परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जाएगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी: ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो किन्तु न तो वह जारी किया गया हो ओर ना देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण–पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाए या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाए।

08. चरित्र– सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी: संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति

सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के अपराध से सिद्ध दोष व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नही होंगे।

09. वैवाहिक प्रास्थिति– सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही जीवित पत्नी हो :

परन्तु यह कि राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं, यदि उनका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

10. शारीरिक अस्वस्थता– किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से अच्छा न हो यह किसी ऐसे शारीरिक दोष से न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षता–पूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना तथा कर्तव्य निर्वहन में हस्तक्षेप की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अनुमोदित करने से पूर्व उसे निर्धारित मेडिकल बोर्ड से स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

11. आरक्षण– फार्मासिस्ट के बैकलॉग के पदों पर अभ्यर्थियों को आरक्षण हेतु निम्न शर्तों को पूर्ण करना होगाः

(क) ऊर्ध्वांधर एवं क्षैतिज आरक्षण, शासन द्वारा निर्गत तथा अद्यतन प्रचलित शासनादेश के आधार पर केवल उत्तराखण्ड राज्य के अधिवासी अभ्यर्थियों को अनुमन्य होगा। आरक्षण संबंधी शासनादेशों के विस्तृत विवरण हेतु बोर्ड की वेबसाईट **www.ukmssb.org** देखें।

(ख) यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उपश्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक उपश्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी, का लाभ पाने का पात्र होगा।

(ग) आरक्षण के लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास अपनी श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की छायाप्रति ऑनलाईन आवेदन करने के समय आवेदन पत्र के निर्धारित स्थान पर अपलोड किया जाना आवश्यक होगा।

(घ) विज्ञापन के ''परिशिष्ट–1'' में मुद्रित निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र अभिलेख सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(ड) आरक्षण के सम्बन्ध में जिस श्रेणी से सम्बन्धित निर्धारित प्रारूप का उल्लेख ''परिशिष्ट–1'' में नहीं है, उससे सम्बन्धित प्रमाण पत्र, जो सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जारी किया गया हो, संलग्न/अपलोड करें। जहां शपथ पत्र प्रस्तुत करना भी आवश्यक हो वहां वांछित शपथ पत्र मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी द्वारा विधिवत प्रमाणित कराकर अभिलेख सत्यापन से पूर्व ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ अवश्य संलग्न/अपलोड कर प्रस्तुत करें।

(च) दिव्यांग आरक्षण के लाभ हेतु दिव्यांगता की विभिन्न श्रेणियों मे से किसी एक श्रेणी में कम से कम 40 प्रतिशत की दिव्यांगता होना अनिवार्य है। जिस–जिस दिव्यांगता श्रेणी/उपश्रेणी हेतु पद आरक्षित है, उसी दिव्यांगता श्रेणी/उपश्रेणी हेतु आरक्षण प्रदान किया जायेगा। दिव्यांग हेतु आरक्षण उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–312/XXX(2)/17/ 30(5)/2014-TC दिनांक 27 अक्टूबर, 2017, 196/XVII-2/2011-29 (स0क0)/2003 दिनांक 25 मार्च, 2011, दिव्यांग(पी0एच0), के अनुसार आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा।

(छ) पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ केवल सेना से सेवानिवृत्त/विनियोजित सैन्यकर्मियों को शासनादेश संख्याः 133/XXXVI(3)2009/14(1)/2009 दिनांक 16 मार्च, 2009 के अनुसार अनुमन्य होगा। सैन्य कर्मियों के आश्रितों को उक्त आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा।

(ज) अन्य पिछड़ वर्ग के लिए आरक्षण हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को शासनादेश संख्या 684/XVII-2/16-02(OBC)/2012 दिनांक 10 मई, 2016 के अनुसार आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा।

12. चयन प्रक्रियाः– बोर्ड अभ्यर्थियों की योग्यता–क्रम में, जैसा कि डिप्लोमा परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त अंकों से प्रकट हो, एक सूची अभ्यर्थियों के डिप्लोमा परीक्षा के उत्तीर्ण वर्षवार तैयार करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करें तो बोर्ड जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले हो, उसे उनकी सामान्य उपयुक्तता के आधार पर योग्यता क्रम में रखेगा।

13. ऑनलाईन आवेदन किये जाने हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश–

(01) अभ्यर्थी विज्ञापन का सम्यक् रूप से अवलोकन करने हेतु बोर्ड की वेबसाईट **www.ukmssb.org** पर जायें। ऑनलाईन आवेदन पत्र उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की वेबसाइट पर दिनांक 20 अक्टूबर, 2018 से **www.ukmssb.org** पर उपलब्ध रहेगा।

(02) ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने तथा आवश्यक अभिलेख संलग्न करने की अन्तिम तिथि 20 नवम्बर, 2018 (रात्रि 11:59:59 बजे) है।

(03) अभ्यर्थी को सचेत किया जाता है कि विज्ञापन/परीक्षा की सभी शर्तों को पूरा करने के पश्चात् ही आवेदन करें।

(04) जो अभ्यर्थी आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक सम्बन्धित पद के सापेक्ष अर्हता धारित नहीं होंगे, उनके आवेदन पर बोर्ड द्वारा कोई विचार नहीं किया जायेगा।

(05) ऑफलाईन/हार्ड कॉपी के माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

(06) अधूरे/अपूर्ण ऑनलाईन आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

(07) लॉगइन करने के उपरान्त अभ्यर्थी **"Online Application"** पर क्लिक करें।

(08) अभ्यर्थी फार्मासिस्ट के विज्ञापन के सम्मुख **"Click here to Apply"** पर क्लिक करें।

(09) आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरने के उपरान्त प्रविष्टियों को सावधानीपूर्वक जाँच लें। भरी गयी प्रविष्टियों में शंका होने पर अथवा किसी त्रुटि की दशा में अभ्यर्थी उक्त प्रविष्टियों को ठीक कर लें। भरी गयी प्रविष्टियों के एकदम सही होने की दशा में ही आवेदन पत्र के अंत में Submit Button पर क्लिक करें। अभ्यर्थी के आवेदन पत्र में भरी गयी सूचनाओं को ही अन्तिम माना जायेगा।

(10) **"You have successfully submitted your application for Pharmacist"** का संदेश स्क्रीन पर स्वतः प्रदर्शित होगा।

14. शुल्क– अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क जमा करने हेतु पर "Pay Fee" पर क्लिक करें तथा निम्नानुसार निर्धारित शुल्क जमा करें–

क्र.स. **(Sr. No.)**	श्रेणी **(Category)**	आवेदन शुल्क **(Application Fees)**
1	उत्तराखण्ड अन्य पिछडा वर्ग	₹ 300/–
2	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति	₹ 150/–
3	उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति	₹ 150/–
4	उत्तराखण्ड दिव्यांग	शुल्क में छूट

नोटः–

(1) जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा।

(2) परीक्षा शुल्क जमा करने के उपरान्त अभ्यर्थी चाहें तो त्रुटि होने पर अपना आवेदन रद्द (cancel) कर पुनः आवेदन कर सकते हैं, किन्तु आवेदन रद्द (cancel) करने पर जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा।

15. अन्य महत्वपूर्ण निर्देश–

(1) बोर्ड द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया पदों से सम्बन्धित संगत सेवा नियमावली, अद्यतन प्रचलित अधिनियमों/नियमावलियों/मैनुअल्स/मार्ग–दर्शक सिद्धान्तों एवं

समय–समय पर बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णयों इत्यादि में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्पन्न की जायेगी।

(2) अभिलेख सत्यापन के समय ऑनलाईन आवेदन–पत्र में किये गये दावों की पुष्टि हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र के स्वहस्ताक्षरित प्रिंटआउट के साथ अनिवार्य अर्हता, अधिमानी अर्हता, अनुभव, आरक्षण आदि से सम्बन्धित समस्त प्रमाण–पत्रों के मूल अभिलेख प्रस्तुत करने आवश्यक होंगे, साथ ही सम्बन्धित समस्त प्रमाण पत्रों के 02 स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति सहित बोर्ड कार्यालय में जमा कराना आवश्यक होगा। इस सम्बन्ध में यथासमय अभ्यर्थियों के सूचनार्थ विज्ञप्ति मात्र बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से जारी की जायेगी।

अभिलेख सत्यापन से पूर्व आवेदन–पत्र/प्रमाण–पत्रों इत्यादि की सन्निरीक्षा के दौरान यदि अभ्यर्थी के अर्हता के सम्बन्ध में प्रस्तुत दावों में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अनर्ह अभ्यर्थियों की सूचना मात्र बोर्ड की वेबसाईट **www.ukmssb.org** पर प्रसारित की जायेगी।

(3) अर्ह अभ्यर्थी को अभिलेख सत्यापन हेतु डाक द्वारा कोई पत्र प्रेषित नहीं किये जायेंगे, अपितु ऑनलाईन प्रवेश–पत्र बोर्ड की वेबसाईट **www.ukmssb.org** पर जारी किये जायेंगे, जिसे अभ्यर्थियों द्वारा स्वयं बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किया जाना होगा।

(4) अभिलेख सत्यापन के दौरान अभ्यर्थी को फोटो कैमरा, मोबाईल फोन पेजर, ब्लूटूथ, स्कैनर पैन अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र अथवा अन्य किसी इलैक्ट्रॉनिक उपकरण के प्रयोग की अनुमति नहीं है।

(5) अभ्यर्थियों से अभिलेख सत्यापन के दौरान अनुशासित आचरण की अपेक्षा की जाती है।

(6) अँगूठे का निशान– अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन के समय निर्धारित स्थान पर अपने अँगूठे का निशान (पुरूष अभ्यर्थी की दशा में बाँये अँगूठे का निशान तथा महिला अभ्यर्थी की दशा में दाँये अँगूठे का निशान) अवश्य अंकित करेंगे।

(7) अभिलेख सत्यापन की तिथि, समय व स्थान के सम्बन्ध में अनुक्रमांक सहित सूचना बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाईन प्रवेश–पत्र द्वारा प्रदान की जायेगी। अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन हेतु स्वयं उपस्थित होना होगा।

(8) अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन के समय अपने समस्त मूल प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत करेंगे, जिनका मिलान अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र में किये गये दावों से किया जाएगा। यदि अभ्यर्थी की अर्हता के सम्बम्ध में प्रस्तुत दावे में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(9) मूल प्रमाण–पत्र के सत्यापन के समय ही अभ्यर्थी को पासपोर्ट आकार के दो स्व–प्रमाणित फोटोग्राफ भी प्रस्तुत करने होंगे।

(10) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अथवा उनके नियंत्रणाधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को प्रमाण–पत्रों के सत्यापन के समय अपने सेवा नियोजक का ''अनापत्ति प्रमाण–पत्र'' मूल रूप में प्रस्तुत करना होगा।

16. सामान्य निर्देश–

(01) अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि विज्ञापन की सभी शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन करें।

(02) बोर्ड अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के समबन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है। इसलिये अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हों कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। अधिवयस्क, अल्पवयस्क तथा शैक्षिक अर्हता के आधार पर अनर्ह होने अथवा नियमों, प्रक्रिया आदि के उल्लंघन के कारण अस्वीकृत किये जाने वाले आवेदन–पत्रों के मामलों में कोई शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

(03) अभिलेख सत्यापन के सभी स्तरों पर अभ्यर्थियों का प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा। अभ्यर्थी को मात्र प्रवेश पत्र जारी किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसका अभ्यर्थन बोर्ड द्वारा अन्तिम रूप से सुनिश्चित कर दिया गया है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अन्तिम रुप से चयनित कर लिया जाता है तो भी बोर्ड की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।

(04) ऑनलाईन मूल आवेदन–पत्र में दर्शाये गये विवरण में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।

(05) अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपने आवेदन–पत्र, उपस्थिति–सूची आदि में तथा बोर्ड के साथ समस्त पत्राचार में सभी स्थानों पर उनके द्वारा किए गये हस्ताक्षर एक जैसे होने चाहिए और उनमें किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर किए गये हस्ताक्षरों में यदि कोई भिन्नता पायी जाती है तो बोर्ड उसके अभ्यर्थन को रद्द कर सकता है।

(06) हाईस्कूल प्रमाण–पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी तथा उक्त प्रमाण–पत्र की स्व–हस्ताक्षरित छायाप्रति अपलोड न किए जाने पर आवेदन–पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(07) जो अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तों के अनुसार पात्र नहीं पाये जाएंगे उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। विज्ञापित पद पर चयन हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन/अर्हता/पात्रता के सम्बन्ध में बोर्ड का निर्णय अन्तिम होगा। अनर्ह अभ्यर्थियों की सूची बोर्ड की वेबसाइट **www.ukmssb.org** पर प्रकाशित की जाएगी।

(08) बोर्ड से किए जाने वाले सभी प्रकार के पत्राचार में अभ्यर्थियों द्वारा अपने नाम के साथ विज्ञप्ति पद/परीक्षा का नाम, विज्ञापन संख्या, अभ्यर्थी की जन्मतिथि, पिता/पति का नाम, रजिस्ट्रेशन संख्या तथा अनुक्रमांक (यदि सूचित किया गया हो) का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए। अभ्यर्थियों को पत्राचार में अपने हस्ताक्षर वैसे ही करने होंगे जैसा कि उन्होंने ऑनलाईन आवेदन–पत्र में अपलोड किये हैं।

(09) शैक्षिक अर्हता एवं अर्हता सम्बन्धी समस्त दावे आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक जारी किये गये मान्य होंगे। उसके पश्चात् निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।

(10) अभ्यर्थियों को चयन से सम्बन्धित समस्त सूचनाएँ बोर्ड की वेबसाइट (**www.ukmssb.org**) के माध्यम से अवगत करायी जाएंगी। अतः बोर्ड की वेबसाइट का समय–समय पर अवलोकन करना सुनिश्चित करें।

(11) कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यार्थियों के विरुद्ध कार्यवाही– अभ्यर्थियों को सचेत किया है कि आवेदन करते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उन्हें यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रति की किसी प्रविष्टि में कोई शोधन या परिवर्तन या अन्यथा फेरबदल नहीं करें तथा न ही वे फेरबदल किया गया/जाली प्रलेख प्रस्तुत करें। यदि दो या दो से अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति हो तो इस विसंगति के बारे में अभ्यर्थी को स्पष्टीकरण करना चाहिए।

(12) अभ्यर्थी को निम्नलिखित कारणों से बोर्ड द्वारा दोषी घोषित किया जाएगा–

01. अग्रलिखित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया गया है, अर्थात् (क) गैर कानूनी रुप से परितोषण की पेशकश करना, (ख) अनुचित दबाव डालना, या
02. अभिलेख सत्यापन के लिए बोर्ड द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचायी हो, या

03. यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही ही जा सकती है। इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक

(1) अभ्यर्थी को इस संबन्ध में लिखित अभ्यावेदन, जो वो देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया हो और

(2) अभ्यर्थी द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, बोर्ड द्वारा विचार कर लिया गया हो।

17. आरक्षण की दावे की पुष्टि के लिए जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट/उप जिलाधिकारी/तहसीलदार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के निर्धारित प्रपत्र पर जारी जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। अनुसूचित–जाति/अनुसूचित–जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण–पत्र का निर्धारित प्रारुप विज्ञापन के साथ परिशिष्ट–01 में प्रकाशित किया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण–पत्र इस विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से तीन वर्ष पूर्व से अधिक समय का नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार क्षैतिज आरक्षण एवं आयु में छूट की प्राप्ति हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारुप पर जारी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

ह0/–
सचिव,
उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड,
देहरादून।